<u>**अनुबंध – 2**</u>

आरबीआई के एनडीएस-ओएम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों की पहुँच हेतु स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के आवेदन पत्र का प्रारूप। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निष्पादन से पहले स्टाम्प ड्यूटी के साथ फ्रैंक किया जाए।

(लागू राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार मुहर लगाई जाए)

मुख्य महाप्रबंधक,
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई – 400 001

महोदया/प्रिय महोदय,

नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा के लिए अनुरोध

हम एतद्वारा ऑर्डर मैचिंग और रिपोर्ट किए गए सेगमेंट, दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की अनुमति चाहते हैं।

2. अपेक्षित विवरण, जैसा कि अपेक्षित है, निम्नानुसार हैं:

ए. स्टॉक ब्रोकर का नाम	
बी. सेबी पंजीकरण सं.	
सी. निपटान व्यवस्था सीसीआईएल के क्लियरिंग सदस्य का नाम, जिसके साथ स्टॉक ब्रोकर के घटकों/ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन के निपटान के लिए समझौता है।	

डी. प्रमुख पदाधिकारियों का संपर्क विवरण - परिचालन और आईटी		
	परिचालन प्रमुख	**आईटी प्रमुख / सिस्टम-इन-चार्ज**
नाम		
पदनाम		
डाक पता		
टेलीफोन नंबर		
मोबाइल नंबर		
टेलीफ़ैक्स नंबर		
ई-मेल आईडी		
क्या INFINET कनेक्शन लिया गया है (हाँ/नहीं)?		

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस आवेदन प्रपत्र के अनुमोदन के बाद प्रयोक्ता अनुरोध टेम्पलेट भेजा जाएगा।

4. हम एतद्वारा वचन देते हैं कि हम अपने व्यावसायिक परिसर में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना अपनी लागत पर स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-ओएम की कनेक्टिविटी और सुचारू संचालन को सुगम बनाया जा सके।

5. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के किसी भी भाग को अन्यत्र स्थानांतरित/शिफ्ट/अंतरण/प्रतिलिपि/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम अपनी लागत पर उपरोक्त उपकरणों को संशोधित, उन्नत या बदलने का वचन देते हैं, जब भी ऐसा करने की सूचना दी जाती है। हम यह भी वचन देते हैं कि हम आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना साफ्टवेयर/हार्डवेयर में कोई संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन नहीं करेंगे;

6. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि –

(ए) हम सक्रिय सेबी-पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर हैं;

(बी) सभी विनियामकीय आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है और गैर-अनुपालन के लिए विनियामकों से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है;

(सी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है;

(डी) हम पर किसी भी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अयोग्यता के आदेश या इसी तरह के प्रभाव के आदेश नहीं लगाए गए हैं और न ही हमें सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में किसी भी लेनदेन से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(ई) एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा के लिए यह अनुरोध करने से पहले हमारे आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

(एफ़) हमने एनडीएस-ओएम से संबंधित "मार्गदर्शक सिद्धांतों" को पढ़ा और समझा है। हम एनडीएस-ओएम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और समय-समय पर यथासंशोधित और लागू ऐसे सभी नियम, विनियम, सिद्धांत, नियम और शर्तें हम पर बाध्यकारी होंगी; हम हर समय सीसीआईएल के समय-समय पर यथासंशोधित परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे;

(जी) हम एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की अनुमति प्रदान करते समय हमें आवंटित संबंधित एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या को आरबीआई को हमारे सभी पत्राचार में शामिल करेंगे;

(एच) भारतीय रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी तरह से हमारे एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और/या एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या के अनधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(आई) एनडीएस-ओएम, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में हमें या हमारे किसी भी पदाधिकारी को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा;

(जे) हम जानते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों द्वारा एनडीएस-ओएम पर ट्रेडों सुविधा दे सकते हैं और हम अपने घटकों/ग्राहकों द्वारा एनडीएस-ओएम में दर्ज किए गए ऑर्डर हेतु एनडीएस-ओएम पर निष्पादित सभी ट्रेडों के लिए उत्तरदायी होंगे;

(के) जहां तक संघटक ऑर्डर/ट्रेड का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित अनुपालनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(एल) हमारे संगठन में स्पष्ट और व्यापक पहुँच नियंत्रण नीतियां, प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं और इन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है और इसके सख्त अनुपालन के लिए इसकी लगातार निगरानी की जा रही है;

(एम) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) /संस्था/संस्थाओं को निम्नलिखित की अनुमति नहीं देंगे –

I. आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना;

II. आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन के अलावा किसी अन्य उपकरण पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना

III. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना, उसमें परिवर्तन करना, संशोधित करना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को उपलब्ध कराना

IV. आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी भी अन्य तरीके से सॉफ्टवेयर का उपयोग करना

V. अनधिकृत स्थान से वर्कस्टेशन स्थापित या संचालित करना

(एन) कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होंगे और इसके किसी भी अनधिकृत उपयोग को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

(ओ) हम सहमत हैं कि बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, सदस्यों के उन ऑर्डर/ट्रेडों से संबंधित ऐसी जानकारी को सरकार, अन्य एजेंसियां और प्रेस और मीडिया से साझा करने/प्रकट करने या प्रसारित करने का बैंक के पास पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से निपटाए या अस्वीकृत या समाशोधित और निपटाए गए हैं और एनडीएस-ओएम पर ट्रेड या रिपोर्ट की गई सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी लिखतों से संबंधित हैं।

(पी) स्टॉक ब्रोकर के कार्यालय परिसर में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बैंक को स्टॉक ब्रोकर के एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले सभी कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा।

(क्यू) बैंक, एनडीएस-ओएम पर पहुँच के लिए स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा की निरंतरता की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है, यदि बैंक की राय में किसी ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटना की संभावना है जहां स्टॉक ब्रोकर ने बैंक के हितों को प्रत्यक्ष या किसी अन्य तरीके से प्रभावित किया है या प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और स्टॉक ब्रोकर पर बाध्यकारी होगा।

(आर) हम सहमत हैं कि यदि हम किसी भी समामेलन, विलगाव (डिमर्जर) या किसी उपक्रम के अधिग्रहण सहित किसी कॉर्पोरेट पुनर्गठन से गुजरते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा विनियमों के अनुसार निलंबित/समाप्त की जा सकती है।

(एस) स्टॉक ब्रोकर के प्रबंधन में किसी भी कॉर्पोरेट परिवर्तन की स्थिति में, बैंक को ऐसी जानकारी, डेटा और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा जो आवश्यक समझा जा सकता है और स्टॉक ब्रोकर इन्हें बैंक को प्रदान करेगा और इस संबंध में सभी आवश्यक सहयोग भी करेगा।

(टी) हम, वर्तमान में आईडीआरबीटी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए या इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी आवश्यकता के लिए सहमत हैं।

(यू) हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का उपयोग करते हुए हमारे घटक/ग्राहक द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन हम पर बाध्यकारी होगा। स्टॉक ब्रोकर बाद में किसी भी कारण से लेनदेन को अस्वीकार नहीं करेगा और बैंक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मों पर कार्रवाई कर सकता है और बिना किसी जोखिम और जिम्मेदारी के लेनदेन कर सकता है।

(वी) हम सहमत हैं कि यह निपटान के लिए एनडीएस-ओएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टेड ट्रेडों पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक को हुई किसी भी संभावित हानि/क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

(डबल्यू) बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हम एतद्वारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का लाभ उठाते समय बैंक को हुई किसी भी हानि/क्षति और स्टॉक ब्रोकर या किसी कर्मचारी, एजेंट, सेवक या स्टॉक ब्रोकर के प्रतिनिधि की ओर से किसी भी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

(एक्स) हम सहमत हैं कि अपने घटकों/ग्राहकों को प्रतिभूतियों में उनके लेनदेन के लिए एनडीएस-ओएम सुविधाएं प्रदान करने के लिए दायित्व पूरी तरह हम पर रहेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम इस वचन पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं और स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा का उपयोग करने की शर्तों को पूरी तरह से समझते हैं।

(वाई) हमारे और बैंक/किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचन की व्याख्या, अर्थ या प्रभाव के बारे में या स्टॉक ब्रोकर या बैंक के अधिकारों और दायित्वों के बारे में या किसी अन्य मामले के रूप में कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7. हम यह भी वचन देते हैं कि हम ऐसे सभी विलेखों, वचनों, क्षतिपूर्ति और/या बॉण्डों को निष्पादित, हस्ताक्षरित और अभिदत्त करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक को वे सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे जिनकी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग और आवश्यकता हो सकती है।

8. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि उपर्युक्त में से कोई भी कथन झूठा, गलत, गलत प्रस्तुतीकरण पाया जाता है या यदि किसी वचन या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें हमारी स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा को समाप्त करना भी शामिल है।

9. हम एतद्वारा यह भी वचन देते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों में किसी भी परिवर्तन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके घटित होने/हमारी जानकारी में आने के 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, सूचित करेंगे।

10. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि एनडीएस-ओएम में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट की सुविधा (पृष्ठ 1 पर दर्शाए गए व्यवसाय खंड की) की मांग करने वाला यह आवेदन पत्र, इस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अपेक्षित आंतरिक अनुमोदन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और उस पर हमारे संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो इस तरह का अनुरोध करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम: